न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्र.199–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–12–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 01/अपील/2007–08.

.....

राम उपाध्याय आत्मज श्री नर्मदाप्रसाद उपाध्याय,
निवासी उपभोक्ता भण्डार के पीछे,
तहसील व जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती सरला उपाध्याय पत्नी स्व0श्री लखन उपाध्याय
2–कु0दीपिका पुत्र स्व.श्री लखनलाल उपाध्याय
3–दीपक उपाध्याय पुत्र स्व0श्री लखनलाल उपाध्याय
तीनों निवासी सदरबाजार, होशंगाबाद,
तहसील व जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री अनुमान उपाध्याय, अभिभाषक–आवेदक

श्री प्रमोद गौर, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि नजूल अधिकारी होशंगाबाद के समक्ष अनावेदकगण द्वारा होशंगाबाद स्थित नजूल शीट नम्बर 26 प्लाट नम्बर 47 रकबा 1010 वर्गफुट पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नजूल

अधिकारी द्वारा दिनांक 17–8–2006 को आदेश पारित कर उपरोक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अनावेदकगण के नाम एवं शेष भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश से प्रतिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 6–7–2007 को आदेश पारित कर नजूल अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने एवं प्रश्नाधीन भूमि का उभयपक्षों के मध्य आपस में बटवारा निर्धारित होने के उपरांत ही संहिता की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण का निराकरण करने प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–12–2014 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर दिया गया है, इसलिये उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । यह भी कहा गया कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है और इस तथ्य को छिपाकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त से आदेश पारित कराया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नजूल अधिकारी को बटवारा करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नजूल अधिकारी द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये उसके पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 की भूमि के पटटे का नवीनीकरण हुआ है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन

आदेश नहीं है, केवल केता को भूमि विक्रय करने से रोका गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नजूल अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया है और नजूल अधिकारी के समक्ष बटवारे में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम पूर्व से ही दर्ज है, इसके बावजूद भी नजूल अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा कर दिया गया है और उनके द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बने है और मकान के बटवारे करने का अधिकार नजूल अधिकारी को नहीं है । आवेदक प्रश्नाधीन भूमि में हितधारी व्यक्ति है, इसके बावजूद भी नजूल अधिकारी द्वारा उसे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा नजूल अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण उन्हें उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर